

## फर्द अहकाम

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री भोपालसिंह

बनाम

विपक्षी :- श्री बाबरू

किस्म मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 63/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से दर्ज हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमांकन व पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा संबंधी विवाद रहता है साथ ही प्रार्थी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवाना चाहता है जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा संबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थीगण सीमांकन कराना चाहते हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

#### -: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गोगा का गुडा पटवार हल्का वाणियातलाई, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 12 की आराजी न. 275, 276 किता 02 रकबा 1.5400 है। भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

